जैव विविधता संबंधी जैव सुरक्षा सम्मेलन के लिए कार्टाजेना नवाचार

पाठ और अनुबंध

जैव विविधता संबंधी जैव सुरक्षा सम्मेलन के लिए कार्टाजेना नवाचार

पाठ और अनुबंध

मॉन्ट्रियल, 2000

मॉन्ट्रियल, 2000
कॉपीराइट © 2000, जैव विविधता सम्मेलन का सचिवालय
ISBN: 92-807-1924-6

शिक्षा या गैर लाभ प्रयोजनों के लिए कॉपीराइट धारकों से विशेष अनुमति के बगैर इस प्रकाशन का पुनरुत्पादन किया जा सकता है, बशर्ते कि स्रोत का उल्लेख किया गया हो। सम्मेलन का सचिवालय एक स्रोत के रूप में इस दस्तावेज़ का उपयोग करने वाले प्रकाशनों की एक प्रति प्राप्त होने की सराहना करेगा।
ग्रंथ सूची और संदर्भ उद्देश्य के लिए इस प्रकाशन को संदर्भित किया जाना चाहिए:
जैव विविधता सम्मेलन (2000) का सचिवालय। जैव विविधता सम्मेलन के लिए जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉलः पाठ और अनुलग्नक
मॉन्ट्रियल: जैव विविधता सम्मेलन का सचिवालय।

इस पुस्तिका में जैव विविधता सम्मेलन के जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना समझौते का पाठ निहित है, जो पृष्ठ 2 पर शुरू होता है।
जैव विविधता सम्मेलन के सचिवालय द्वारा प्रकाशित

कृपया अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें:
जैव विविधता सम्मेलन का सचिवालय
वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
393 सेंट जैकस, 300 सुइट
मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, H2Y 1N9
कनाडा

फोन : 1 (514) 288 2220
फैक्स: 1 (514) 288 6588
ई-मेल: secretariat@biodiv.org
वेबसाइट: http://www.biodiv.org

पुर्नचक्रित कागज पर मुद्रित

प्रस्तावना

जैव विविधता सम्मेलन को मई, 1992 में नैरोबी में अंतिम रूप दिया गया और 5 जून 1992 को इसे रियो डी जनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCED) के दौरान हस्ताक्षर के लिए रखा (खोला) गया था। 29 दिसंबर, 1993 से यह प्रभावी हुआ। आज, यह समझौता जैव विविधता के मुद्दों के समाधान के लिए मुख्य अंतरराष्ट्रीय साधन है। यह जैव विविधता के संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों के सतत् उपयोग और आनुवांशिक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त लाभों के निष्पक्ष और समान बंटवारे के लिए एक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है ।

सम्मेलन द्वारा संबोधित किए जाने वाले मुद्दों में से एक है जैव सुरक्षा। यह अवधारणा मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के उत्पादों के संभावित प्रतिकूल प्रभाव से बचाने की जरूरत को दर्शाती है। साथ ही, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में मानव कल्याण को बढ़ावा देने, विशेष रूप से खाद्य, कृषि और स्वास्थ्य देखभाल के लिए महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने की एक महान क्षमता होने की मान्यता है। समझौता आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के इन दोनों पहलुओं की स्पष्ट रूप से पहचान करता है। एक ओर, यह जैव प्रौद्योगिकी सहित प्रौद्योगिकी के उपयोग और हस्तांतरण के लिए अवसर प्रदान करता है, जो जैव विविधता के निरंतर उपयोग और संरक्षण के लिए प्रासंगिक हैं और (उदाहरण के लिए अनुच्छेद 16 का अनुच्छेद और अनुच्छेद 19 के अनुच्छेद 1 और 2 में)। दूसरी ओर, अनुच्छेद 8 (जी) और 19, अनुच्छेद 3, मानव स्वास्थ्य के सभी जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, समझौते के समग्र लक्ष्य के संदर्भ में जैविक विविधता के लिए सभी संभावित खतरों को कम करके जैव प्रौद्योगिकी की सुरक्षा बढ़ाने के लिए उचित प्रक्रिया के विकास को सुनिश्चित करना चाहता है। अनुच्छेद 8 (जी), उन उपायों से संबंधित है जिन्हें पक्षों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर किया जाना चाहिए, जबकि अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 3, जैव सुरक्षा के मुद्दे के समाधान के लिए एक कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय उपकरण को विकसित करने के लिए मंच स्थापित करता है।

नवंबर 1995 में हुई इसकी दूसरी बैठक में समझौते में शामिल पक्षों के सम्मेलन में जैव सुरक्षा पर एक मसौदा समझौता विकसित करने के लिए जैव सुरक्षा पर एक खुले तदर्थ कार्य समूह की स्थापना की गई, जो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाली किसी भी सजीव संशोधित जीव की ऐसी सीमापार गतिविधियों पर विशेष रूप से केंद्रित हो, जिनका जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

कई वर्षों के विचार-विमर्श के बाद, जैव विविधता पर समझौते को अंतिम रूप दिया गया, जिसे जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना समझौते के रूप में जाना जाता है, और 29 जनवरी 2000 को मॉन्ट्रियल में हुए सम्मेलन में इस समझौते में शामिल पक्षों की एक असाधारण बैठक में इसे अपनाया गया।

जैवसुरक्षा समझौते के निष्कर्ष का एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में स्वागत किया गया है, क्योंकि यह तेजी से बढ़ते वैश्विक उद्योग, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग की व्यापार और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जरूरतों में सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय नियामक ढांचा प्रदान करता है। इस प्रकार यह समझौता पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए संभावित खतरों को कम करते हुए, जैव प्रौद्योगिकी में मौजूद क्षमता से अधिकतम लाभ उठाने को संभव बनाते हुए, जैव प्रौद्योगिकी के पर्यावरण के अनुकूल अनुप्रयोग के लिए एक अनुकूल माहौल पैदा करता है।

1

जैव विविधता सम्मेलन के लिए जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना नवाचार

इस समझौते में शामिल पक्षों को,

जैव विविधता सम्मेलन में शामिल पक्ष होने के नाते, आगे "समझौते (कन्वेंशन)" के रूप में संदर्भित किया जाएगा,

समझौते के अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 3 और 4, और अनुच्छेद 8 (जी) और 17 को याद करते हुए,

17 नवंबर 1995 को जैव सुरक्षा पर एक समझौता (मसविदा), विकसित करने के लिए समझौते में शामिल पक्षों के सम्मेलन में, विशेष रूप से किसी भी सजीव संशोधित जीव की सीमापार गतिविधियों का ध्यान रखते हुए, जिनका जैविक

विविधता के संरक्षण और निरंतर उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है, विचार करने, और विशेष रूप से पहले से सूचित समझौते के लिए उचित प्रक्रिया स्थापित करने के निर्णय II/5 को याद करते हुए,

रियो घोषणा के सिद्धांत 15 में निहित पर्यावरण और विकास पर एहतियाती दृष्टिकोण को पुष्ट करते हुए,

आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के तेजी से विस्तार और इसके जैव विविधता पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव पर बढ़ती सार्वजनिक चिंता के बारे में जागरुक रहकर और मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिमों का भी ध्यान रखते हुए,

इस बात को समझते हुए कि अगर पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ विकसित और प्रयुक्त की जाए तो आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी में मानव कल्याण की काफी संभावना है,

मूल के केन्द्रों और आनुवंशिक विविधता के केन्द्रों के मानव जाति के लिए अत्यधिक महत्व को समझते हुए,

सजीव संशोधित जीवों के साथ जुड़े संभावित खतरों की प्रकृति और पैमाने का सामना करने में कई देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों की सीमित क्षमताओं का ध्यान रखते हुए,

सतत् विकास प्राप्त करने के दृष्टिकोण के साथ व्यापार और पर्यावरण समझौतों का पारस्परिक रूप से समर्थन किए जाने की आवश्यकता को समझते हुए,

इस बात पर बल देते हुए कि इस समझौते की किसी भी मौजूदा अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत एक पक्ष के अधिकारों और दायित्वों में परिवर्तन के रूप में व्याख्या नहीं की जाएगी,

यह समझते हुए कि उपरोक्त पाठ (प्रपठन) का इरादा इस समझौते को अन्य अंतरराष्ट्रीय समझौतों अधीनस्थ करना नहीं है,

निम्नानुसार सहमत हुए हैं:

अनुच्छेद
1
उद्देश्य

पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा के सिद्धांत 15 में निहित एहतियाती दृष्टिकोण के अनुसार, इस समझौते का उद्देश्य, मानव स्वास्थ्य और विशेष रूप से सीमापार गतिविधियों पर ध्यान देते हुए आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग पर उत्पन्न हो सकने वाले प्रतिकूल प्रभावों को दूर करने के लिए सजीव संशोधित जीवों के सुरक्षित हस्तांतरण, संभाल और उपयोग के क्षेत्र में सुरक्षा का पर्याप्त स्तर सुनिश्चित करने में योगदान करना है।

अनुच्छेद
2
सामान्य प्रावधान

1. प्रत्येक पक्ष इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को लागू करने के लिए आवश्यक और उचित कानूनी, प्रशासनिक एवं अन्य उपाय करेगा।

2. पक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी सजीव संशोधित जीव का विकास, संभाल (हैंडलिंग), परिवहन , उपयोग, स्थानांतरण और रिहाई ऐसे तरीके से की जाए जो मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिमों का ध्यान रखते हुए, जैव विविधता को खतरों से बचाता है या खतरों को कम करता है।

3. इस समझौते में ऐसा कुछ भी नहीं है जो अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों की उनके प्रादेशिक समुद्र पर स्थापित संप्रभुता, और संप्रभु अधिकार तथा अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार राज्यों के विशेष आर्थिक क्षेत्रों और उनके महाद्वीपीय समतल में क्षेत्राधिकार को किसी भी तरह से प्रभावित करता है, और सभी राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून में किए गए प्रावधानों और प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय उपकरणों के रूप में परिलक्षित अनुसार जहाजों और नौवहन अधिकारों और स्वतंत्रता का उपयोग करेंगे।

4. इस प्रोटोकॉल में ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसकी किसी पक्ष द्वारा की जाने वाली ऐसी कार्रवाई को रोकने के रूप में व्याख्या की जा सके, जो जैव विविधता के संरक्षण और निरंतर उपयोग के लिए इस समझौते में किए जाने वाले प्रावधान से अधिक रक्षात्मक है, बशर्ते कि वह इस समझौते के उद्देश्य और प्रावधानों के अनुरूप और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत उस पक्ष के अन्य दायित्वों के अनुसार हो।

5. पक्षों को मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम के क्षेत्र में उपयुक्तता के आधार पर उपलब्ध विशेषज्ञता, उपकरण और अंतरराष्ट्रीय मंचों में किए जा रहे काम का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अनुच्छेद
3
शब्दों का उपयोग

इस समझौते के प्रयोजनों के लिए:

(क) "पक्षों के सम्मेलन" का आशय समझौते में शामिल पक्षों के लिए सम्मेलन से है;

(ख) "निहित उपयोग" का आशय एक इकाई में प्रारंभ किए गए किसी भी संचालन , स्थापना या अन्य भौतिक संरचना से है जिसमें ऐसे सजीव संशोधित जीव शामिल हैं जो प्रभावी रूप से विशिष्ट उपायों के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं और जो प्रभावी तरीके से उनके संपर्कों और बाहरी वातावरण पर उनके प्रभावों को सीमित करते हैं।

(ग) "निर्यात" का आशय जानबूझकर एक पक्ष से अन्य पक्ष को की जाने वाली गतिविधियों (भेजने) से है;

(घ) "निर्यातक" का आशय निर्यात करने वाले पक्ष के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी कानूनी या प्राकृतिक व्यक्ति से है, जो किसी सजीव संशोधित जीव का निर्यात करने की व्यवस्था करता है;

(ङ) "आयात" का आशय एक पक्ष से अन्य पक्ष को जानबूझकर की जाने वाली गतिविधियों (मंगाने) से है;

(च) "आयातक" का आशय आयात करने वाले पक्ष के अधिकार क्षेत्र में आने वाले किसी भी कानूनी या प्राकृतिक व्यक्ति से है, जो किसी सजीव संशोधित जीव के आयात की व्यवस्था करता है;

(छ) "सजीव संशोधित जीव" का आशय ऐसे किसी भी सजीव प्राणी (संरचना) से है जिसके पास आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्राप्त आनुवंशिक सामग्री का एक नया संयोजन होता है;

(ज) "सजीव प्राणी (संरचना)" का आशय अप्रजायी जीवों, वायरस और वायरायड सहित, आनुवंशिक सामग्री का हस्तांतरण या नकल करने में सक्षम किसी भी जैविक इकाई से है;

(झ) "आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी" का आशय निम्नलिखित के अनुप्रयोग से है:

(क) विट्रो न्यूक्लिक एसिड तकनीक में पुनः संयोजक डीयोक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड (डीएनए) और कोशिकाओं या आर्गेनेलों में न्यूक्लिक एसिड के प्रत्यक्ष इंजेक्शन दिया जाता है, या

(ख) वर्गीकरण परिवार से परे कोशिकाओं का फ्यूजन, प्राकृतिक शारीरिक प्रजनन या पुर्नसंयोजन बाधाओं को दूर करता है और यह पारंपरिक प्रजनन और चयन में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक नहीं है;

(ञ) "क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन" का आशय किसी निर्धारित क्षेत्र के संप्रभु राज्यों द्वारा गठित संगठन से है , जिसे इसके सदस्य देशों ने इस समझौते द्वारा शासित मामलों के संबंध में क्षमता का हस्तांतरण कर दिया हो और जिसे अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुसार, हस्ताक्षर, पुष्टि, स्वीकार, अनुमोदन या ग्रहण करने के लिए विधिवत अधिकृत किया गया हो;

(ट) "सीमा पार गतिविधियों" का आशय एक पक्ष से किसी अन्य पक्ष को सजीव संशोधित जीव भेजने-मंगाने से है, जो पक्षों और गैर-पक्षों के बीच अनुच्छेद 17 और 24 की सीमापार गतिविधियों के उद्देश्य के लिए विस्तारित किया जाता है।

अनुच्छेद

4

क्षेत्र

यह समझौता मानव स्वास्थ्य के जोखिमों को ध्यान में रखते हुए , सभी सजीव संशोधित जीवों की सीमापार गतिविधियों, पारगमन, हैंडलिंग और उपयोग के लिए लागू होगा, जिनका जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

अनुच्छेद

5

फार्मास्यूटिकल्स

अनुच्छेद 4 के बावजूद और जोखिम मूल्यांकन के लिए आयात किए जाने वाले सभी सजीव संशोधित जीवों के विषय में किसी पक्ष के आयात के पूर्व निर्णय लेने पर बिना किसी पूर्वाग्रह के, यह समझौता किसी सजीव संशोधित जीव की ऐसी सीमापार गतिविधियों पर लागू नहीं होगा जो मनुष्य की दवाइयों के लिए हो और अन्य प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय समझौतों या संगठनों द्वारा संबोधित किया जाता हो।

अनुच्छेद

6

पारगमन और निहित उपयोग

1. अनुच्छेद 4 के बावजूद और अपने क्षेत्र से होकर सजीव संशोधित जीवों के परिवहन को विनियमित करने और अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 के अधीन जैवसुरक्षा क्लियरिंग हाउस के लिए उपलब्ध, उस पक्ष के किसी भी फैसले पर पूर्वाग्रह के बगैर, एक विशिष्ट सजीव संशोधित जीव के अपने क्षेत्र से पारगमन करने के संबंध में, अग्रिम सूचित समझौता प्रक्रिया के संबंध में इस समझौते के प्रावधान सजीव संशोधित जीवों के पारगमन के लिए लागू नहीं होंगे।

2. अनुच्छेद 4 के बावजूद और किसी पक्ष के सजीव संशोधित जीवों के आयात पर निर्णय लेने से पूर्व जोखिम मूल्यांकन करने के लिए और अपने क्षेत्राधिकार के भीतर निहित उपयोग के मानक तय करने के लिए, अग्रिम सूचित समझौता प्रक्रिया के संबंध में इस समझौते के प्रावधान सजीव संशोधित जीवों के विषय में आयात करने वाले पक्ष के मानकों के अनुसार निहित उपयोग के लिए निर्धारित सजीव संशोधित जीवों की सीमापार गतिविधियों के लिए लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद

7

अग्रिम सूचित समझौते की प्रक्रिया का अनुप्रयोग

1. अनुच्छेद 5 और 6 के अधीन, अनुच्छेद 8 से 10 और 12 में निहित अग्रिम सूचित समझौता प्रक्रिया आयात की पार्टी के वातावरण में उद्देश्य युक्त प्रवेश के लिए सजीव संशोधित जीवों की पहली उद्देश्य युक्त गतिविधियों से पहले लागू होंगे।
2. ऊपर के अनुच्छेद 1 में "वातावरण में जानबूझकर प्रवेश", भोजन या खाद्य के तौर पर प्रत्यक्ष उपयोग, या प्रसंस्करण के लिए वांछित सजीव संशोधित जीवों को संदर्भित नहीं करता है।
3. अनुच्छेद 11 भोजन या खाद्य के तौर पर प्रत्यक्ष उपयोग, या प्रसंस्करण के के लिए वांछित सजीव संशोधित जीवों की पहली सीमापार गतिविधियों से पहले लागू नहीं होगी।
4. मानव स्वास्थ्य के जोखिम का ध्यान रखते हुए, जैव विविधता के संरक्षण और निरंतर उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं होने की वजह से अग्रिम सूचित समझौता प्रक्रिया इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाले

पक्षों के सम्मेलन के निर्णय में चिह्नित सजीव संशोधित जीवों की जानबूझकर की जाने वाली सीमापार गतिविधियों के लिए लागू नहीं होगा।

अनुच्छेद
8
अधिसूचना

1. निर्यात करने वाला पक्ष, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 1 के दायरे के तहत आने वाले सजीव संशोधित जीव की जानबूझकर की जाने वाली सीमापार गतिविधियों से पहले आयात करने वाले पक्ष के सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण को सूचित करेगा या उसे निर्यातक को लिखित में, अधिसूचना देनी होगी। अधिसूचना में कम से कम, अनुलग्नक I में निर्दिष्ट जानकारी निहित होनी चाहिए।

2. निर्यात करने वाला पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की सटीकता कानूनी रूप से जरूरी है।

अनुच्छेद
9
अधिसूचना प्राप्ति की पावती

1. आयात करने वाला पक्ष अधिसूचना की प्राप्ति के नब्बे दिन के भीतर सूचनादाता को, लिखित में, अधिसूचना की पावती भेजेगा।

2. पावती में इनका उल्लेख होगा:

(क) अधिसूचना प्राप्त होने की तारीख;

(ख) क्या अधिसूचना में, प्रथम दृष्टया, अनुच्छेद 8 में निर्दिष्ट जानकारी शामिल है;

(ग) क्या यह आयात करने वाले पक्ष के घरेलू विनियामक ढांचे के अनुसार या अनुच्छेद 10 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार है या नहीं।

3. ऊपर के अनुच्छेद 2 (ग) में संदर्भित घरेलू नियामक ढांचा, इस समझौते के साथ संगत होना चाहिए।

4. आयात करने वाले पक्ष द्वारा एक अधिसूचना की प्राप्ति स्वीकार करने में विफलता एक जानबूझकर की जाने वाली सीमापार गतिविधियों के लिए उसकी सहमति का संकेत नहीं करेगा।

अनुच्छेद
10
निर्णय प्रक्रिया

1. आयात करने वाले पक्ष द्वारा लिया गया निर्णय अनुच्छेद 15 के अनुसार होगा।

2. आयात करने वाला पक्ष, अनुच्छेद 9 में निर्दिष्ट समय की अवधि के भीतर, सूचना देने वाले को लिखित रूप में सूचित करेगा कि क्या जानबूझकर की जाने वाली सीमापार गतिविधियां आगे चल सकती हैं:

(क) केवल आयात करने वाले पक्ष द्वारा अपनी लिखित सहमति दे देने के बाद, या

(ख) एक लिखित अनुमति के बिना कम से कम नब्बे से अधिक दिनों के बाद।

3. अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के दो सौ सत्तर दिन के भीतर, आयात करने वाला पक्ष ऊपर अनुच्छेद 2 (क) में निर्दिष्ट निर्णय के बारे में, सूचनादाता को और जैवसुरक्षा क्लियरिंग हाउस को लिखित रूप में, सूचित करेगा:

(क) शर्तों के साथ या बगैर एक आयात की स्वीकृति, के साथ यह भी उल्लेखित होगा कि एक सजीव संशोधित जीव के बाद में होने वाले आयात के लिए यह फैसला कैसे लागू होगा;

(ख) आयात पर रोक लगाना;

(ग) अपने घरेलू नियामक ढांचे या अनुलग्नक I के अनुसार अतिरिक्त प्रासंगिक जानकारी का अनुरोध; समय की गणना में आयात करने वाले पक्ष द्वारा जवाब दिए जाने की समय की गणना में, उन दिनों की संख्या को शामिल नहीं किया जाएगा जिनमें उसे अतिरिक्त प्रासंगिक जानकारी के लिए इंतजार करना पड़ा; या

(घ) सूचनादाता को सूचित करना कि इस अनुच्छेद में निर्दिष्ट अवधि एक निर्धारित अवधि के लिए बढ़ा दी गई है।

4. केवल ऐसे मामले को छोड़कर जिसमें बिना शर्त सहमति है, ऊपर के अनुच्छेद 3 के तहत एक निर्णय वह कारण तय करेगा, जिस पर यह आधारित है।

5. आयात करने वाले पक्ष द्वारा अधिसूचना की प्राप्ति की तारीख के दो सौ सत्तर दिन के भीतर अपने निर्णय से अवगत कराने में विफलता एक जानबूझकर की जाने वाली सीमापार गतिविधियों के लिए उसकी सहमति का संकेत नहीं होगा।

6. आयात करने वाले पक्ष द्वारा मानव स्वास्थ्य के जोखिम को ध्यान में रखते हुए जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग पर एक सजीव संशोधित जीव के संभावित प्रतिकूल प्रभावों की सीमा के बारे में अपर्याप्त प्रासंगिक और वैज्ञानिक जानकारी के कारण वैज्ञानिक निश्चितता का अभाव, संभावित प्रतिकूल प्रभाव से बचने या उसे कम करने के लिए, ऊपर अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट अनुसार संबंधित सजीव संशोधित जीव के आयात के संबंध में, उस पक्ष को जैसा उपयुक्त हो, निर्णय लेने से नहीं रोकेगा।

7. पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाले पक्षों का सम्मेलन, अपनी पहली बैठक में, आयात करने वाले पक्ष द्वारा निर्णय लेने की सुविधा के लिए उचित प्रक्रिया और तंत्र का फैसला करेगा।

अनुच्छेद
11
भोजन या खाद्य के रूप में प्रत्यक्ष उपयोग या प्रसंस्करण के प्रयोजन के लिए निर्धारित सजीव संशोधितजीवों के लिए प्रक्रिया

1. एक पक्ष जो भोजन या खाद्य के रूप में प्रत्यक्ष उपयोग, या प्रसंस्करण के लिए एक सजीव संशोधित जीव की सीमापार गतिविधियों के विषय में, उसे बाजार में लाने सहित घरेलू उपयोग के संबंध में अंतिम निर्णय करता है, वह निर्णय लेने के पंद्रह दिनों के भीतर, जैवसुरक्षा क्लियरिंग हाउस के माध्यम से पक्षों को सूचित करेगा। इस जानकारी में कम से कम, अनुलग्नक II में निर्दिष्ट जानकारी होनी चाहिए। पक्ष हर पक्ष के राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु को, लिखित में, जानकारी की एक प्रति प्रदान करेगा जो अग्रिम में सचिवालय को यह सूचना देगा कि उसके पास जैव सुरक्षा क्लियरिंग हाउस तक पहुँच नहीं है। यह प्रावधान क्षेत्र परीक्षण के बारे में निर्णय करने के लिए लागू नहीं होगा।

2. ऊपर के अनुच्छेद 1 के तहत कोई फैसला लेने वाली पार्टी, यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदक द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी की सटीकता कानूनी रूप से जरूरी है।

3. कोई भी पक्ष अनुलग्नक II के अनुच्छेद (ख) में चिह्नित प्राधिकरण से अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध कर सकता है।

4. पक्ष भोजन या खाद्य के रूप में प्रत्यक्ष उपयोग, या प्रसंस्करण के इरादे से सजीव संशोधित जीवों के आयात पर ऐसा कोई भी फैसला ले सकता है, जो इस समझौते के उद्देश्य के अनुरूप और उसके घरेलू विनियामक ढांचे के तहत हो।

5. हर पक्ष जैवसुरक्षा क्लियरिंग हाउस के लिए किसी भी राष्ट्रीय कानूनों, नियमों और भोजन या खाद्य के रूप में प्रत्यक्ष उपयोग या प्रसंस्करण के इरादे से सजीव संशोधित जीवों के आयात पर लागू दिशा निर्देशों की प्रतियां, यदि उपलब्ध हो तो, उपलब्ध कराएगा।

6. एक विकासशील देश का पक्ष या एक ऐसा पक्ष जिसकी अर्थव्यवस्था संक्रमण के दौर से गुजर रही हो, ऊपर के अनुच्छेद 4 में निर्दिष्ट घरेलू विनियामक ढांचे के अभाव में, और अपने घरेलू अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए जैवसुरक्षा क्लियरिंग हाउस के माध्यम से घोषणा कर सकता है कि भोजन या खाद्य के रूप में प्रत्यक्ष उपयोग, या प्रसंस्करण के इरादे से, एक सजीव संशोधित जीव के पहले आयात से पूर्व का उसका निर्णय, जिसकी जानकारी उपरोक्त अनुच्छेद 1 के तहत प्रदान की गई है, निम्नलिखित के अनुसार लिया जाएगाः

(क) अनुलग्नक III के अनुसार किया गया एक जोखिम मूल्यांकन; और

(ख) अपेक्षित समय सीमा के भीतर दिए गए निर्णय, दो सौ सत्तर दिन से अधिक में नहीं लिए जा सकते।

7. जब तक पक्ष द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, उपरोक्त अनुच्छेद 6 के अनुसार किसी पक्ष द्वारा अपने निर्णय से अवगत कराने में विफलता, भोजन या खाद्य के रूप में प्रत्यक्ष उपयोग, या प्रसंस्करण के इरादे से, एक सजीव संशोधित जीव के आयात के लिए उसकी सहमति या इंकार संकेत नहीं करेगी।

8. आयात करने वाले पक्ष द्वारा मानव स्वास्थ्य के जोखिम को ध्यान में रखते हुए जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग पर एक सजीव संशोधित जीव के संभावित प्रतिकूल प्रभावों की सीमा के बारे में अपर्याप्त प्रासंगिक और वैज्ञानिक जानकारी के

कारण वैज्ञानिक निश्चितता का अभाव, संभावित प्रतिकूल प्रभाव से बचने या उसे कम करने के लिए, भोजन या खाद्य के रूप में प्रत्यक्ष उपयोग, या प्रसंस्करण के इरादे से उस सजीव संशोधित जीव के आयात के संबंध में, उस पक्ष को जैसा उपयुक्त हो, निर्णय लेने से नहीं रोकेगा।

9. एक पक्ष भोजन या खाद्य के रूप में प्रत्यक्ष उपयोग, या प्रसंस्करण के इरादे से सजीव संशोधित जीवों के संबंध में वित्तीय और तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण के लिए अपनी जरूरतों का संकेत कर सकता है। पक्ष अनुच्छेद 22 और 28 के अनुसार इन जरूरतों को पूरा करने के लिए सहयोग करेगा।

अनुच्छेद
12
निर्णयों की समीक्षा

1. मानव स्वास्थ्य के जोखिम को ध्यान में रखते हुए जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग पर एक सजीव संशोधित जीव के संभावित प्रतिकूल प्रभावों के बारे में नई वैज्ञानिक जानकारी के आलोक में आयात करने वाला पक्ष , किसी भी समय, जानबूझकर की जाने वाली सीमापार गतिविधियों के बारे में लिए गए निर्णय की समीक्षा कर सकता है या उसे बदल सकता है। ऐसे मामले में, पार्टी, तीस दिन के भीतर ऐसे निर्णय में निर्दिष्ट अधिसूचित सजीव संशोधित जीव की गतिविधियों के बारे में पहले से सूचित करने वाले किसी भी सूचनादाता और, साथ ही जैवसुरक्षा क्लियरिंग हाउस को निर्णय के बारे में सूचित करेगा, और अपने निर्णय के लिए कारण भी बताएगा।

2. निर्यातक पक्ष या एक सूचनादाता, आयात करने वाले पक्ष से अनुच्छेद 10 के तहत किए गए फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध कर सकता है, जहां निर्यातक पक्ष या सूचनादाता मानता है कि:

(क) हालात में ऐसा बदलाव आया है जो जोखिम मूल्यांकन के उस परिणाम को प्रभावित कर सकता है जिसके आधार पर निर्णय किया गया था, या

(ख) अतिरिक्त प्रासंगिक वैज्ञानिक या तकनीकी जानकारी उपलब्ध हो गई है।

3. आयात करने वाला पक्ष नब्बे दिनों के भीतर लिखित में ऐसे अनुरोध का जवाब देगा और अपने निर्णय के लिए कारण बताएगा।

4. आयात करने वाले पक्ष को , अपने विवेक पर, बाद में होने वाले आयात के लिए एक जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है।

अनुच्छेद
13
सरलीकृत प्रक्रिया

1. आयात करने वाला पक्ष, जैवसुरक्षा क्लियरिंग हाउस को अग्रिम में निर्दिष्ट कर सकता है कि इस समझौते के उद्देश्य के अनुसार, सजीव संशोधित जीवों की जानबूझकर की जाने वाली सुरक्षित सीमापार गतिविधियों के लिए पर्याप्त उपाय लागू किए जा रहे हैं:

(क) जिन मामलों में जानबूझकर की जाने वाली सुरक्षित सीमापार गतिविधियां हो सकती हैं और साथ ही गतिविधियों के बारे में आयात करने वाले पक्ष को अधिसूचित किया गया है, और

(ख) सजीव संशोधित जीवों के आयात को अग्रिम सूचित समझौते की प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा।

ऊपर के उप-पैरा (क) के तहत दी गई अधिसूचनाओं को, उसी पक्ष के साथ बाद में की जाने वाली समनुरूप गतिविधियों के लिए लागू किया जा सकता है।

2. ऊपर के उप-अनुच्छेद 1 में जानबूझकर की जाने वाली सुरक्षित सीमापार गतिविधि के संबंध में अधिसूचना में दी जाने वाली जानकारी, अनुलग्नक I में निर्दिष्ट जानकारी के अनुरूप होगी।

अनुच्छेद
14
द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय समझौते और व्यवस्थाएं

1. पक्ष इस समझौते के उद्देश्य के अनुरूप सजीव संशोधित जीवों की जानबूझकर की जाने वाली सुरक्षित सीमापार गतिविधियों के संबंध में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय समझौतों और व्यवस्था में शामिल हो सकते हैं बशर्ते कि इस तरह के समझौतों और व्यवस्थाओं के तहत प्रदान की जाने वाली सुरक्षा का स्तर इस समझौते में किए गए सुरक्षा के स्तर के प्रावधान से कम न हो।
2. पक्ष इस समझौते के प्रभावी होने की तिथि से पहले या बाद में किसी भी तरह के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय समझौतों में अपने शामिल होने के बारे में जैवसुरक्षा क्लियरिंग हाउस के माध्यम से, एक दूसरे को सूचित करेंगे।
3. इस समझौते के प्रावधान उन समझौतों या व्यवस्थाओं में शामिल पक्षों के बीच होने वाले इस तरह के समझौतों और व्यवस्था के अनुसार जानबूझकर की जाने वाली सुरक्षित सीमापार गतिविधि को प्रभावित नहीं करेंगे।
4. कोई भी पक्ष निर्धारित कर सकता है कि उसके विशेष आयात के संबंध में उसके घरेलू नियम लागू होंगे और अपने फैसले के संबंध में जैवसुरक्षा क्लियरिंग हाउस को सूचित करेगा।

अनुच्छेद
15
जोखिम का आकलन

1. इस समझौते के अनुसार किए गए जोखिम आकलन, अनुलग्नक III के अनुसार, और एक वैज्ञानिक तरीके से किए जाएंगे और जोखिम मूल्यांकन की मान्य तकनीकों का ध्यान रखा जाएगा। मानव स्वास्थ्य के जोखिमों का ध्यान रखते हुए और जैव विविधता के संरक्षण और निरंतर उपयोग पर सजीव संशोधित जीवों के संभावित प्रतिकूल प्रभाव की पहचान करने और उनका मूल्यांकन करने के क्रम में इस तरह के जोखिम आकलन, कम से कम, अनुच्छेद 8 में उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार और अन्य उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर किया जाएगा ।
2. आयात करने वाला पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि जोखिम आकलन अनुच्छेद 10 के तहत लिए गए निर्णयों के लिए किया जा रहा है। निर्यातक के लिए जोखिम मूल्यांकन करना आवश्यक हो सकता है।
3. अगर आयात करने वाला पक्ष चाहे तो जोखिम मूल्यांकन की लागत का सूचक द्वारा वहन किया जाएगा।

अनुच्छेद
16
जोखिम प्रबंधन

1. पक्ष, समझौते के अनुच्छेद 8 (छ) का ध्यान रखते हुए , सजीव संशोधित जीवों के उपयोग, संभाल (हैंडलिंग) और सीमापार गतिविधियों से संबंधित इस समझौते में चिह्नित जोखिम मूल्यांकन प्रावधानों के अनुसार जोखिमों का विनियमन, प्रबंधन और नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त तंत्र, उपाय और रणनीतियां स्थापित करेगा और उन्हें बनाए रखेगा।
2. मानव स्वास्थ्य के जोखिम का ध्यान रखते हुए , जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग पर सजीव संशोधित जीव के प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए, जोखिम आकलन पर आधारित उपायों को आयात करने वाले पक्ष के क्षेत्र के भीतर, आवश्यक हद तक लागू किया जाएगा।
3. प्रत्येक पक्ष एक सजीव संशोधित जीव को पहली बार छोड़े जाने से पहले किए जाने वाले जोखिम मूल्यांकन की आवश्यकता जैसे उपायों सहित सजीव संशोधित जीवों की बिना किसी खास उद्देश्य के सीमापार गतिविधियों को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाएगा।
4. ऊपर के अनुच्छेद 2 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक पक्ष यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि अपने वांछित उपयोग से पहले, आयातित या स्थानीय स्तर पर विकसित किसी भी सजीव संशोधित जीव को एक उचित अवधि के लिए, जो उसके जीवन चक्र या उत्पादन समय से आरंभ होती है, प्रेक्षण के अंतर्गत रखा गया है।
5. पक्ष निम्नलिखित दृष्टिकोण के लिए सहयोग करेंगे:

(क) सजीव संशोधित जीवों या सजीव संशोधित जीवों के विशिष्ट लक्षण की पहचान करना, जिनका मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम का ध्यान रखते हुए, जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, और

(ख) ऐसे सजीव संशोधित जीवों या विशिष्ट लक्षण के उपचार के संबंध में उपयुक्त कदम उठाना।

अनुच्छेद
17
गैर - इरादतन सीमा पार गतिविधियां और आपात उपाय

1. प्रत्येक पक्ष अपने अधिकार क्षेत्र में किसी ऐसी घटना का पता चलने पर जिसके परिणामस्वरूप, बिना किसी खास उद्देश्य के ऐसे सजीव संशोधित जीवों की रिहाई या रिहाई की संभावना हो, जिनका मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम का ध्यान रखते हुए, जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, प्रभावित या प्रभावित होने की संभावना वाले राज्यों के बारे में जैवसुरक्षा क्लियरिंग हाउस को और, जहां उपयुक्त हो, प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय संगठनों अधिसूचित करने के लिए उपयुक्त उपाय करेगा। पक्ष को उपरोक्त स्थिति का पता चलने के बाद फौरन अधिसूचना भेजनी होगी।

2. प्रत्येक पक्ष, इस समझौते के प्रभावी होने की तिथि के बाद नहीं, इस अनुच्छेद के तहत सूचनाएं प्राप्त करने के उद्देश्य के लिए अपने संपर्क के बिंदु स्थापित कर जैवसुरक्षा क्लियरिंग हाउस को प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराएगा।

3. ऊपर के अनुच्छेद 1 से उत्पन्न होने वाली किसी भी सूचना में इन्हें शामिल होना चाहिए:

(क) अनुमानित मात्रा और प्रासंगिक विशेषताओं तथा/अथवा सजीव संशोधित जीव के लक्षण पर उपलब्ध प्रासंगिक जानकारी;

(ख) हालात और रिहाई की अनुमानित तारीख, और उत्पन्न करने वाले पक्ष में सजीव संशोधित जीव के उपयोग पर सूचना;

(ग) मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम का ध्यान रखते हुए जैव विविधता के संरक्षण और निरंतर उपयोग पर संभव प्रतिकूल प्रभाव के बारे में उपलब्ध कोई भी जानकारी, साथ ही संभावित जोखिम प्रबंधन के उपायों के बारे में उपलब्ध जानकारी;

(घ) कोई भी अन्य प्रासंगिक जानकारी, और

(ङ) अधिक जानकारी के लिए संपर्क का एक बिंदु।

4. मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम का ध्यान रखते हुए जैव विविधता के संरक्षण और निरंतर उपयोग पर संभव महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, प्रत्येक पक्ष, जिसके अधिकार क्षेत्र में ऊपर अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट सजीव संशोधित जीव की रिहाई होती है, प्रभावित या संभावित प्रभावित राज्यों को उचित प्रतिक्रिया का निर्धारण और आपात उपायों सहित आवश्यक कार्रवाई शुरू करने में सक्षम करने के लिए फौरन उनसे से विचार-विमर्श करेगा।

अनुच्छेद
18
निपटान, परिवहन, पैकेजिंग और पहचान

1. मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम का ध्यान रखते हुए जैव विविधता के संरक्षण और निरंतर उपयोग पर प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए, प्रत्येक पक्ष, इस समझौते के दायरे के तहत सजीव संशोधित जीवों की जानबूझकर की जाने वाली सीमापार गतिविधियों कि आवश्यकता के लिए आवश्यक उपाय करेगा, जिससे प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय नियमों और मानकों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित स्थितियों में उनकी संभाल, पैकेजिंग और परिवहन की जा सके।

2. प्रत्येक पक्ष को इसके साथ संलग्न दस्तावेज़ों के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे:

(क) भोजन या खाद्य के रूप में प्रत्यक्ष उपयोग, या प्रसंस्करण के इरादे से सजीव संशोधित जीवों पर, स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि उनमें सजीव संशोधित जीव "निहित हो सकते हैं" और वे जानबूझकर माहौल में प्रवेश कराने के इरादे से नहीं हैं, साथ ही आगे की जानकारी के लिए एक संपर्क बिंदु होना चाहिए। इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में होने वाला पक्षों का सम्मेलन इस समझौते के प्रभावी होने की तिथि के बाद, जो दो साल से अधिक न हो, उनकी पहचान के विनिर्देश और किसी भी विशिष्ट पहचान सहित इस उद्देश्य के लिए विस्तृत आवश्यकताओं, पर कोई फैसला करेगा;

(ख) निहित उपयोग के लिए निर्दिष्ट सजीव संशोधित जीवों की स्पष्ट रूप से सजीव संशोधित जीवों के रूप में पहचान की जाती है, और सुरक्षित संभाल (हैंडलिंग) , भंडारण, परिवहन और उपयोग के लिए किसी भी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया जाता है, जिसे जीवित संशोधित जीव भेजे जा रहे हैं, उस व्यक्ति और संस्था के नाम और पते सहित आगे के लिए संपर्क बिंदु, और

(ग) आयात करने वाले पक्ष के वातावरण में प्रविष्ट कराने के इरादे से भेजे जाने वाले सजीव संशोधित जीवों और इस समझौते के दायरे के भीतर आने वाले किसी भी अन्य जीवित संशोधित जीव को स्पष्ट रूप से सजीव संशोधित जीवों के रूप में चिह्नित किया जाता है, पहचान और प्रासंगिक लक्षण तथा/अथवा निर्दिष्ट विशेषताओं, आयातक और निर्यातक के नाम और पते, उचित रूप में सुरक्षित हैंडलिंग, भंडारण, परिवहन और उपयोग के लिए किसी भी आवश्यकता, अधिक जानकारी के लिए संपर्क बिंदु और एक घोषणा शामिल है कि गतिविधियां इस समझौते की निर्यातक के लिए लागू होने वाली आवश्यकताओं के अनुरूप है।

3. इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाला पक्षों का सम्मेलन को अन्य प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय निकायों के परामर्श से, पैकेजिंग और परिवहन प्रथाओं से निपटने की जरूरत और पहचान के संबंध में मानकों को विकसित करने के तौर तरीकों पर विचार करेगा ।

अनुच्छेद
19
सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण और राष्ट्रीय केंद्र बिंदु

1.प्रत्येक पक्ष अपनी ओर से सचिवालय के साथ संपर्क की जिम्मेदारी संभालने एक राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु नामित करेगा। प्रत्येक पक्ष अपनी ओर से कार्रवाई करने के लिए एक या एक से अधिक सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरणों को नामित करेगा, जो इस समझौते द्वारा आवश्यक प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार होंगे और जिन्हें उन कार्यों के संबंध में इसकी ओर से कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया जाएगा। एक पक्ष एक केन्द्र बिन्दु और सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण दोनों के कार्यों को पूरा करने के लिए एक ही संस्था को नामित कर सकता है।

2. प्रत्येक पक्ष, इसके लिए इस समझौते के प्रभावी होने की तिथि, के बाद में नहीं, सचिवालय को अपने केन्द्र बिन्दु और सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण या अधिकारियों के नाम और पते के संबंध में सूचित करेगा। पक्ष द्वारा एक से अधिक सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरणों को नामित करने के मामले में, उसे अपनी अधिसूचना के साथ, उन अधिकारियों की संबंधित जिम्मेदारियों पर प्रासंगिक जानकारी के साथ सचिवालय को सूचित करना होगा। जहाँ लागू हो, इस तरह की जानकारी, कम से कम यह निर्दिष्ट करेगी, कि कौन सा सक्षम प्राधिकारी किस प्रकार के सजीव संशोधित जीव के लिए जिम्मेदार है। प्रत्येक पक्ष अपने राष्ट्रीय केन्द्र बिन्दु के पद पर नियुक्ति या अपने सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण या अधिकारियों के नाम और पते या जिम्मेदारी में किसी भी परिवर्तन के बारे में सचिवालय को फौरन सूचित करेगा।

3. सचिवालय ऊपर के अनुच्छेद 2 के तहत मिलने वाली सूचनाओं के बारे में तत्काल उस पक्ष को सूचित करेगा, और इस तरह की जानकारी जैवसुरक्षा क्लियरिंग हाउस के माध्यम से भी उपलब्ध कराएगा।

अनुच्छेद
20
जानकारी साझा करना और जैव सुरक्षा क्लीयरिंग हाउस (समाशोधन गृह)

1. एतद्वारा, समझौते की अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 3 के तहत समाशोधन-गृह के आंतरिक तंत्र के हिस्से के रूप में निम्नलिखित के लिए एक जैव सुरक्षा क्लियरिंग हाउस स्थापित किया गया है:

(क) सजीव संशोधित जीवों पर वैज्ञानिक, तकनीकी, पर्यावरण और कानूनी सूचना, और उनके साथ अनुभव के आदान-प्रदान को सुविधान्वित करना, और

(ख) विकासशील देश के पक्षों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित और अपने बीच राज्य का विकास करने वाले छोटे द्वीपों, और संक्रमण से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के साथ मूल के केंद्र और आनुवंशिक विविधता के केन्द्रों वाले देशों की विशेष जरूरतों को ध्यान में रखकर, समझौते को लागू करने के लिए पक्षों की सहायता करना।

2. जैवसुरक्षा क्लियरिंग हाउस ऊपर अनुच्छेद 1 के प्रयोजनों के लिए एक साधन के रूप में काम करेगा, जिसके माध्यम से जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। समझौते के कार्यान्वयन के लिए यह संबंधित पक्षों द्वारा उपलब्ध कराई जानकारी तक पहुँच प्रदान करेगा। जहां संभव हो, यह अन्य अंतरराष्ट्रीय जैव सुरक्षा जानकारी के आदान-प्रदान तंत्र के लिए भी पहुँच प्रदान करेगा।

3. गोपनीय जानकारी की सुरक्षा के पूर्वाग्रह के बिना, प्रत्येक पक्ष जैवसुरक्षा क्लियरिंग हाउस को ऐसी कोई भी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जिसकी इस समझौते के तहत जैवसुरक्षा क्लियरिंग हाउस को उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है, और:

(क) समझौते के कार्यान्वयन के लिए कोई भी मौजूदा कानून, नियम और दिशा निर्देशों, के साथ-साथ अग्रिम सूचित समझौता प्रक्रिया के पक्षों द्वारा आवश्यक जानकारी;

(ख) कोई द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय समझौता और व्यवस्था;

(ग) अनुच्छेद 15 के अनुसार तथा अपनी विनियामक प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न सजीव संशोधित जीवों के जोखिम आकलन या पर्यावरण समीक्षा का सारांश, और जहां उपयुक्त हो, उत्पादों के बारे में उचित, प्रासंगिक जानकारी, अर्थात्, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से सजीव संशोधित जीवों से प्राप्त अनुकरणीय आनुवंशिक सामग्री के पहचान योग्य नए संयोजन से युक्त प्रसंस्कृत सामग्री,

(घ) सजीव संशोधित जीवों के आयात या रिहाई के बारे में अपना अंतिम निर्णय, और

(ङ) उसके द्वारा अग्रिम सूचित समझौता प्रक्रिया के कार्यान्वयन सहित अनुच्छेद 33, के अनुसार प्रस्तुत रिपोर्ट.

4. इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाले पक्षों के सम्मेलन द्वारा पर अपनी पहली बैठक में जैवसुरक्षा क्लियरिंग हाउस के संचालन के तौर तरीकों सहित इसकी गतिविधियों की रिपोर्ट पर विचार किया और निर्णय लिया जाएगा, और उसके बाद समीक्षा के अंतर्गत रखा जाएगा।

अनुच्छेद
21
गोपनीय जानकारी

1. आयात करने वाला पक्ष सूचक को इस समझौते की प्रक्रियाओं के तहत आवश्यक और आयात करने वाले पक्ष द्वारा अग्रिम सूचित समझौते की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में प्रस्तुत गोपनीय मानी जाने वाली जानकारी की पहचान करने की अनुमति देगा। अनुरोध पर इस तरह के मामलों में औचित्य दिया जाएगा।

2. अगर आयात करने वाला पक्ष यह फैसला करता है कि सूचनादाता द्वारा गोपनीय के रूप में चिह्नित सूचना ऐसे व्यवहार के योग्य नहीं है तो आयात करने वाला पक्ष सूचक से परामर्श करेगा और किसी भी प्रकटीकरण से पहले, सूचक को अपने निर्णय से अवगत कराएगा, अनुरोध करने पर कारण बताएगा और साथ ही खुलासे से पहले उसे परामर्श और निर्णय की आंतरिक समीक्षा के लिए एक अवसर प्रदान करेगा।

3. प्रत्येक पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि उसके पास अग्रिम सूचित समझौते की प्रक्रिया के संदर्भ में प्राप्त किसी भी गोपनीय जानकारी सहित इस समझौते के तहत प्राप्त गोपनीय जानकारी की सुरक्षा के लिए प्रक्रियाएं विद्यमान हैं और जानकारी की गोपनीयता की ऐसे तरीके से सुरक्षा करेगा जो घरेलू उत्पादन के सजीव संशोधित जीवों के संबंध में गोपनीय जानकारी के लिए किए जाने वाले उसके तरीके से कम अनुकूल नहीं होगी।

4. आयात करने वाला पक्ष सूचक की लिखित अनुमति के बगैर इस तरह की जानकारी का उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए नहीं करेगा।

5. अगर एक सूचनादाता किसी अधिसूचना का प्रत्याहार करता है या वापस कर चुका होता है, तो आयात करने वाला पक्ष अनुसंधान और विकास जानकारी सहित वाणिज्यिक और औद्योगिक जानकारी, के साथ ही ऐसी जानकारी की गोपनीयता का सम्मान करेगा जिस पर पक्ष और सूचनादाता इसकी गोपनीयता के रूप में असहमत हैं।

6. ऊपर के अनुच्छेद 5 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित जानकारी को गोपनीय नहीं माना जाएगा:

(क) सूचक का नाम और पता;

(ख) सजीव संशोधित जीव या जीवों का एक सामान्य वर्णन,

(ग) मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम को ध्यान में रखते हुए जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग पर उसके प्रभाव के जोखिम मूल्यांकन का सारांश, और

(घ) आपातकालीन प्रतिक्रिया का कोई भी तरीका और योजनाएं।

अनुच्छेद
22
क्षमता-निर्माण

1. पक्ष निजी क्षेत्र की भागीदारी के माध्यम से, विकासशील देश के पक्षों, विशेष रूप से सबसे कम विकसित और अपने बीच राज्य का विकास करने वाले छोटे द्वीपों, और संक्रमण से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के पक्षों सहित मौजूदा वैश्विक, क्षेत्रीय, उप-क्षेत्रीय और राष्ट्रीय संस्थाओं और संगठनों को, इस समझौते के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए, जैव सुरक्षा के लिए आवश्यक हद तक जैव प्रौद्योगिकी सहित, जैव सुरक्षा में मानव संसाधन और संस्थागत क्षमता के विकास तथा/अथवा सुदृढ़ीकरण के लिए सहयोग करेंगे।

2. जैव सुरक्षा में क्षमता निर्माण के लिए समझौते के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ संगत सहयोग के संबंध में, ऊपर के अनुच्छेद 1 को लागू करने के प्रयोजनों के लिए, विकासशील देश, विशेष रूप से सबसे कम विकसित और अपने बीच राज्य का विकास करने वाले छोटे द्वीपों की वित्तीय संसाधनों और जानकारी के उपयोग और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण जरुरतों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। प्रत्येक पक्ष की अलग स्थिति, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अधीन क्षमता निर्माण में सहयोग के लिए जैव प्रौद्योगिकी का समुचित और सुरक्षित प्रबंधन, और जोखिम मूल्यांकन और जैव सुरक्षा के लिए जोखिम प्रबंधन तथा जैव सुरक्षा के लिए तकनीकी और संस्थागत क्षमता की वृद्धि में वैज्ञानिक और तकनीकी प्रशिक्षण शामिल हैं। जैव सुरक्षा में इस तरह की क्षमता के निर्माण के लिए अर्थव्यवस्थाओं के संक्रमण से गुजर रहे पक्षों की जरूरतों का भी पूरी तरह से ध्यान रखा जाएगा।

अनुच्छेद
23
जन जागरूकता और भागीदारी

1. पक्षकार निम्नलिखित कार्य करेंगे:

(क) सुरक्षित स्थानांतरण, हैंडलिंग और मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम का ध्यान रखते हुए, जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग के संबंध में सजीव संशोधित जीवों के उपयोग के लिए सार्वजनिक जागरूकता, शिक्षा और भागीदारी को बढ़ावा और सुविधा देना। ऐसा करने में, पक्ष अन्य राज्यों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ, जैसा उपयुक्त हो सहयोग करेंगे;

(ख) यह सुनिश्चित करने का प्रयास कि जन जागरूकता और शिक्षा का घेरा इस समझौते के अनुसार चिह्नित सजीव संशोधित जीवों के बारे में जानकारी तक पहुँच जाए जिनका आयात किया जा सकता है ।

2. पक्ष, अपने संबंधित कानूनों और नियमों के अनुसार, सजीव संशोधित जीवों के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया में जनता से परामर्श करेंगे और अनुच्छेद 21 के अनुसार गोपनीय जानकारी का सम्मान करते हुए, इस तरह के निर्णयों के परिणाम जनता के लिए उपलब्ध कराएंगे।

3. प्रत्येक पक्ष अपनी जनता को जैवसुरक्षा क्लियरिंग हाउस के सार्वजनिक उपयोग के साधन के बारे में सूचित करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद

24

गैर पक्षकार

1. पक्षों और गैर पक्षों के बीच सजीव संशोधित जीवों की सीमापार गतिविधियां इस समझौते के उद्देश्य के अनुरूप होंगी। पक्ष ऐसी सीमापार गतिविधियों के संबंध में गैर-पक्षों के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय समझौतों और व्यवस्थाओं में शामिल हो सकते हैं।

2. पक्ष गैर-पक्षों को इस समझौते का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे और उनके राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्रों के भीतर सजीव संशोधित जीवों की रिहाई या उसके अंदर या बाहर जाने के बारे में जैवसुरक्षा क्लियरिंग हाउस को उपयुक्त जानकारी प्रदान करेंगे।

अनुच्छेद

25

अवैध सीमा पार गतिविधियां

1. प्रत्येक पक्ष इस समझौते को लागू करने के लिए सजीव संशोधित जीवों की सीमापार गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से उपयुक्त घरेलू उपायों को अपनाएगा और, अगर उचित है, तो अपने घरेलू उपायों के उल्लंघन में की गई सजीव संशोधित जीवों की सीमापार गतिविधियों को दंडित करेगा। इस तरह की गतिविधियों को अवैध सीमापार गतिविधि समझा जाएगा।

2. एक अवैध सीमापार गतिविधि के मामले में, प्रभावित पक्ष, संबंधित संशोधित जीव के निपटान के लिए उसके मूल पक्ष के अपने खर्च पर, उसके प्रत्यावर्तन या विनाश, जो भी उपयुक्त हो, के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

3. प्रत्येक पक्ष जैवसुरक्षा क्लियरिंग हाउस को उस से संबंधित अवैध सीमापार गतिविधियों के मामलों में सूचना उपलब्ध कराएगा।

अनुच्छेद

26

सामाजिक, आर्थिक आधार

1. पक्ष इस समझौते के तहत या समझौते को लागू करने के अपने घरेलू उपायों के तहत आयात पर एक निर्णय तक पहुँचने के लिए, अपने अंतरराष्ट्रीय दायित्वों, जैव विविधता के संरक्षण और सतत् उपयोग पर सजीव संशोधित जीवों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले सामाजिक-आर्थिक कारणों, विशेष रूप से स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के लिए जैव विविधता का मूल्य के संबंध में विचार करेगा।

2. पक्षों को सजीव संशोधित जीवों के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले सामाजिक-आर्थिक कारणों, विशेष रूप से स्वदेशी और स्थानीय समुदायों के लिए शोध और सूचना के आदान- प्रदान पर सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

अनुच्छेद

27

देयता और निवारण

इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाला पक्षों का सम्मेलन, अपनी पहली बैठक में सजीव संशोधित जीवों की सीमापार गतिविधियों से उत्पन्न क्षति के लिए दायित्व और निवारण के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय नियमों और प्रक्रियाओं के उचित विस्तार के प्रति सम्मान के साथ एक प्रक्रिया अपनाएगा, और इन मामलों पर अंतरराष्ट्रीय कानून में चल रही प्रक्रियाओं का विश्लेषण करेगा और ध्यान रखेगा, तथा इस प्रक्रिया को चार साल के भीतर पूरा करने का प्रयास करेगा।

अनुच्छेद

28

वित्तीय तंत्र और संसाधन

1. इस समझौते के कार्यान्वयन के लिए वित्तीय संसाधनों पर विचार करते समय, पक्ष समझौते की अनुच्छेद 20 के प्रावधानों का ध्यान रखेगा।

2. समझौते की अनुच्छेद 21 में स्थापित वित्तीय तंत्र, इसके संचालन का कार्य सौंपी गई संस्थागत संरचना के माध्यम से, इस समझौते का वित्तीय तंत्र होगा।

3. इस समझौते की अनुच्छेद 22 में निर्दिष्ट क्षमता निर्माण के संबंध में विचार करने के लिए, इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाला पक्षों का सम्मेलन ऊपर के अनुच्छेद 2 में निर्दिष्ट वित्तीय तंत्र के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, विकासशील देशों, विशेष रूप से कम विकसित और अपने बीच राज्य का विकास करने वाले छोटे द्वीपों के पक्षों की वित्तीय संसाधनों की जरूरत पर ध्यान देगा।

4. ऊपर के अनुच्छेद 1 के संदर्भ में, पक्ष इस समझौते के कार्यान्वयन के प्रयोजनों के लिए अपनी क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं की पहचान करने और लागू करने के प्रयासों में विकासशील देशों, विशेष रूप से कम विकसित और अपने बीच राज्य का विकास करने वाले छोटे द्वीपों के पक्षों और संक्रमण से गुजर रही अर्थव्यवस्था वाले देशों के पक्षों की जरूरतों का ध्यान रखेगा।

5. इस समझौते को अपनाने के लिए सहमत होने वालों सहित, पक्षों के सम्मेलन के प्रासंगिक निर्णय में समझौते के वित्तीय तंत्र के लिए दिए गए मार्गदर्शन यथोचित परिवर्तन सहित इस अनुच्छेद के प्रावधानों पर लागू होंगे।

6. विकसित देश के पक्ष इस समझौते के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए विकासशील देश और संक्रमण के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं वाले पक्षों को द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय चैनलों के माध्यम से वित्तीय और तकनीकी संसाधन भी उपलब्ध करा सकते हैं।

अनुच्छेद

29

इस समझौते में शामिल पक्षों कीबैठक के रूप में काम करने वाले पक्षों का सम्मेलन

1. पक्षों का सम्मेलन इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करेगा।

2. इस सम्मेलन में शामिल पक्ष जो इस समझौते में शामिल नहीं हैं, इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाले पक्षों के सम्मेलन की किसी भी बैठक की कार्यवाही में पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले सकते हैं। जब पक्षों का सम्मेलन इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में कार्य करता है, इस समझौते के तहत निर्णय केवल इसमें शामिल पक्षों द्वारा लिया जाएगा।

3. जब पक्षों का सम्मेलन इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में कार्य करता है, ऐसी स्थिति में समझौते में किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला ब्यूरो का कोई भी सदस्य, जो उस समय समझौते में शामिल पक्ष नहीं हो, उसे समझौते में शामिल पक्षों और उनके बीच से निर्वाचित सदस्य द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।

4. इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाला पक्षों का सम्मेलन इस समझौते के कार्यान्वयन पर नियमित रूप से समीक्षा करेगा और अपने क्षेत्राधिकार के भीतर, इसके प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक निर्णय लेगा। यह इस समझौते द्वारा उसे सौंपे गए कार्यों को निष्पादित करेगा और:

(क) इस समझौते के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक किसी भी मामले पर सिफारिश करना;

(ख) ऐसे सहायक निकायों की स्थापना जिसे इस समझौते के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक माना जाता है;

(ग) जहां उपयुक्त हो, सक्षम अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अंतर-सरकारी एवं गैर-सरकारी निकायों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी, सेवाओं और का सहयोग की मांग और उनका उपयोग करना;

(घ) इस समझौते की अनुच्छेद 33 के अनुसार प्रस्तुत की गई जानकारी के लिए रूप (फार्म) अंतराल स्थापित करना और इस तरह की जानकारी के साथ ही किसी भी सहायक निकाय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करना;

(ङ) इस समझौते और उसके अनुलग्नक, साथ ही इस समझौते के किसी अतिरिक्त अनुलग्नक में आवश्यक संशोधन पर विचार करना और अपनाना, जिसे इस समझौते के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक माना जाता है; और

(च) ऐसे अन्य कार्यों का निष्पादन जो इस समझौते के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

5. इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाले पक्षों के सम्मेलन द्वारा सहमति से अन्यथा निर्णय लिए जाने की मामले को छोड़कर इस समझौते के तहत यथोचित परिवर्तन के साथ पक्षों के सम्मेलन की प्रक्रिया और समझौते के वित्तीय नियम लागू होंगे।

6. इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाले पक्षों के सम्मेलन की पहली बैठक पक्षों के सम्मेलन की पहली बैठक के साथ संयोजन में सचिवालय द्वारा आयोजित की जाएगी, जिसके लिए इस समझौते के प्रभावी होने की तारीख के बाद की तारीख निर्धारित है। जब तक इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाले पक्षों के सम्मेलन द्वारा अन्यथा निर्णय न लिया जाए, इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाले पक्षों के सम्मेलन की बाद में होने वाली बैठक सम्मेलन के पक्षों की साधारण बैठकों के साथ संयोजन में बुलाई जाएगी।

7. इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाले पक्षों के सम्मेलन की असाधारण बैठकें इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाले पक्षों के सम्मेलन द्वारा उपयुक्त समझे जाने वाले समय पर या किसी पक्ष द्वारा लिखित अनुरोध करने पर बुलाई जाएंगी, बशर्ते अनुरोध के छह महीने के भीतर सचिवालय द्वारा पक्षों को सूचित किया गया हो, और यह पक्षों के कम से कम एक तिहाई द्वारा समर्थित हो।

8. इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाले पक्षों के सम्मेलन की बैठक में संयुक्त राष्ट्र, इसकी विशेष एजेंसियों और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, साथ ही किसी भी राज्य के सदस्य या उसके पर्यवेक्षक या सम्मेलन में गैर-पक्ष को पर्यवेक्षक के रूप में शामिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय, सरकारी या गैर सरकारी, कोई भी निकाय या एजेंसी, जो इस समझौते में शामिल मामलों द्वारा योग्य साबित हो और जिसने इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाले पक्षों के सम्मेलन की एक बैठक नें एक पर्यवेक्षक के रूप में प्रतिनिधित्व करने की अपनी इच्छा के बारे में सचिवालय को सूचित किया हो, उसे ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कम से कम वर्तमान एक तिहाई पक्षों द्वारा उसका विरोध न किया गया हो। जब तक इस अनुच्छेद में अन्यथा प्रावधान न किया गया हो पर्यवेक्षकों के प्रवेश और भागीदारी ऊपर अनुच्छेद 5 में निर्दिष्ट प्रक्रिया के नियमों के अधीन होगी।

अनुच्छेद

30

सहायक संस्थाएँ

1. समझौते द्वारा या उसके अधीन स्थापित कोई भी सहायक निकाय, इस समझौते के लिए दलों की बैठक के रूप में करने वाले वाले सम्मेलन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार कार्य करेगा , जिसके लिए पक्षों की बैठक में यह निर्दिष्ट किया जाएगा कि वह निकाय, किन कार्यों को करेगा।

2. सम्मेलन में शामिल पक्ष, जो इस समझौते में सम्मिलित नहीं हैं, ऐसे किसी भी सहायक निकाय की किसी भी बैठक की कार्यवाही में पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले सकते हैं। जब सम्मेलन का कोई सहायक निकाय इस समझौते के एक सहायक निकाय के रूप में कार्य करता है, ऐसी स्थिति में इस समझौते के तहत निर्णय केवल समझौते में शामिल पार्टियों द्वारा लिए जाएंगे।

3. जब समझौते का कोई सहायक निकाय इस समझौते से संबंधित विषयों के लिए काम करता है, ऐसी स्थिति में समझौते के किसी पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाला उस सहायक निकाय के ब्यूरो का कोई भी सदस्य, जो उस समय समझौते में शामिल पक्ष नहीं हो, उसे समझौते में शामिल पक्षों और उनके बीच से निर्वाचित सदस्य द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा।

अनुच्छेद

31

सचिवालय

1. समझौते की अनुच्छेद 24 द्वारा स्थापित सचिवालय इस समझौते के लिए सचिवालय के रूप में काम करेगा।
2. इस समझौते के लिए, सचिवालय के कार्यों पर समझौते की अनुच्छेद 24 का अनुच्छेद 1 यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होगा।

3. उनके भिन्न होने की हद तक, इस समझौते के लिए सचिवालय सेवाओं की लागत का इसमें शामिल पक्षों द्वारा वहन किया जाएगा। समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाला पक्षों का सम्मेलन, अपनी पहली बैठक में इसके लिए आवश्यक बजटीय व्यवस्था पर फैसला करेगा।

अनुच्छेद
32
समझौते से संबंध

जब तक अन्यथा प्रावधान न किया गया हो इस समझौते पर, समझौते से संबंधित प्रावधान लागू होंगे।

अनुच्छेद
33
निगरानी और रिपोर्टिंग

हर पक्ष इस समझौते के तहत अपने दायित्वों के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा, और, इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाले पक्षों के सम्मेलन द्वारा निर्धारित अंतराल पर, समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाले पक्षों के सम्मेलन को सूचित करेगा कि उसने समझौते को लागू करने के लिए क्या उपाय किए हैं।

अनुच्छेद
34
अनुपालन

इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाला सम्मेलन, अपनी पहली बैठक में इस समझौते के प्रावधानों के अनुपालन को बढ़ावा देने और गैर-अनुपालन के मामलों से निपटने के लिए सहकारी प्रक्रियाओं और संस्थागत तंत्र पर विचार करेगा और मंजूरी देगा। इन प्रक्रियाओं और तंत्रों में, जहां उपयुक्त हो, सलाह या सहायता की पेशकश करने का प्रावधान शामिल होगा। वे समझौते के अनुच्छेद 27 द्वारा स्थापित विवाद निपटान प्रक्रियाओं और तंत्र से अलग, और पूर्वाग्रह रहित होंगे।

अनुच्छेद
35
आकलन और समीक्षा

इस समझौते में शामिल पक्षों की बैठक के रूप में काम करने वाले पक्षों के सम्मेलन द्वारा यह जिम्मेदारी ली जाएगी कि इस समझौते के प्रभावी होने के पांच वर्ष बाद और तत्पश्चात् कम से कम हर पांचवें वर्ष में इसकी प्रक्रियाओं और अनुलग्नकों के आकलन सहित इस समझौते की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाएगा।

अनुच्छेद
36
हस्ताक्षर

यह समझौता राज्यों और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठनों द्वारा हस्ताक्षर के लिए 15 से 26 मई 2000 तक नैरोबी के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में और 5 जून, 2000 से 4 जून 2001 तक न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में खुला रहेगा।

अनुच्छेद
37
कार्यान्वयन (प्रभावी होना)

1. यह समझौता समझौते में शामिल पक्षों यानी राज्यों या क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठनों द्वारा अनुसमर्थन के पचासवें साधन, स्वीकृति, अनुमोदन या अभिगमन के जमा होने की तारीख के नब्बे दिन बाद प्रभावी होगा।
2. ऊपर के अनुच्छेद 1 के अनुसार यह समझौता किसी राज्य या क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन के लिए, जो इस समझौते को अनुसमर्थित करता है, स्वीकार करता है या इसे मंजूरी देता है, द्वारा अनुसमर्थन, स्वीकृति, अनुमोदन, या अभिगमन के जमा करने की तारीख के नब्बे दिन बाद या उस तारीख को जब यह करार राज्य या क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन के लिए प्रभावी होता है, दोनों में से जो भी बाद में हो, कार्यकारी होगा।
3. ऊपर के अनुच्छेद 1 और 2 के प्रयोजनों के लिए, एक क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण संगठन द्वारा जमा किए गए किसी भी साधन को ऐसे संगठन के सदस्य देशों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों के अतिरिक्त के रूप में नहीं गिना जाएगा।

अनुच्छेद
38
आरक्षण

इस समझौते में कोई आरक्षण नहीं किया जा सकता है।

अनुच्छेद
39
प्रत्याहार

1. किसी पक्ष पर इस पूरक करार के प्रभावी होने की तारीख से दो साल के बाद वह पक्ष किसी भी समय निक्षेपागार को लिखित सूचना देकर इस पूरक करार को समाप्त कर सकता है।
2. इस तरह का कोई भी प्रत्याहार निक्षेपागार द्वारा इसकी प्राप्ति की तारीख से एक वर्ष के बाद , या प्रत्याहार की अधिसूचना में निर्दिष्ट इसके बाद की किसी तारीख पर हो सकेगा।

अनुच्छेद
40
प्रामाणिक पाठ (ग्रंथ)

जो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश भाषा में मौजूद इस समझौते के मूल मसविदे समान रूप से प्रामाणिक हैं, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के महासचिव के पास जमा किया जाएगा।

साक्षी में, अधोहस्ताक्षरी ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसे विधिवत प्रभाव के लिए अधिकृत किया जा रहा है।

29 जनवरी, 2000 को, मॉन्ट्रियल में सम्पन्न।

अनुलग्नक I

अनुच्छेद 8, 10 और 13 के तहत अधिसूचना में आवश्यक जानकारी

(क) निर्यातक का नाम, पता और संपर्क का विवरण,

(ख) आयातक का नाम, पता और संपर्क का विवरण,

(ग) सजीव संशोधित जीव के नाम और पहचान के साथ-साथ घरेलू वर्गीकरण, यदि कोई हो, निर्यातक राज्य में सजीव संशोधित जीव की जैव सुरक्षा का स्तर।

(घ) सीमापार गतिविधियों की अपेक्षित तारीख या तारीखें।

(ङ) वर्गीकरण की स्थिति, सामान्य नाम, संग्रह या अधिग्रहण का स्थान (बिंदु), और प्राप्तकर्ता जीव या संबंधित पैतृक जीवों की जैव सुरक्षा से विशेषताएं।

(च) प्राप्तकर्ता जीव तथा/अथवा पैतृक जीवों के मूल केन्द्र और आनुवंशिक विविधता के केन्द्र, यदि ज्ञात हो, और उस निवास स्थान का एक विवरण जहां जीव रह सकते हैं या वंशवृद्धि कर सकते हैं।

(छ) वर्गीकरण की स्थिति, सामान्य नाम, संग्रह या अधिग्रहण का स्थान (बिंदु), और दाता जीव या जैव सुरक्षा से संबंधित जीवों की विशेषताएं।

(ज) न्यूक्लिक एसिड या किए गए संशोधन, इस्तेमाल की गई तकनीक, और इसके परिणामस्वरूप होने वाली सजीव संशोधित जीव की विशेषताओं का वर्णन।

(झ) सजीव संशोधित जीव या उसके उत्पादों का वांछित उपयोग, अर्थात् सजीव संशोधित जीवों से उत्पन्न प्रसंस्कृत सामग्री, जिसमें आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्राप्त पता लगाने योग्य नए संयोजन से युक्त अनुकृति बनाने योग्य आनुवंशिक सामग्री हो।

(ञ) स्थानांतरित किए जा रहे संशोधित जीव की मात्रा या परिमाण।

(ट) अनुलग्नक III के अनुरूप पिछली और मौजूदा जोखिम आकलन रिपोर्ट।

(ठ) जहां उपयुक्त हों, पैकेजिंग, लेबलिंग, दस्तावेजीकरण, निपटान और आकस्मिकता प्रक्रियाओं सहित सुरक्षित संभाल (हैंडलिंग), भंडारण, परिवहन और उपयोग के लिए प्रस्तावित तरीके।

ड) निर्यातक राज्य में सजीव संशोधित जीव की विनियामक स्थिति (उदाहरण के लिए, क्या यह निर्यातक राज्य में प्रतिबंधित है, क्या इस पर कोई अन्य रोक है, या इसे सामान्य रिहाई के लिए अनुमोदित किया गया है), और क्या सजीव संशोधित जीव निर्यातक राज्य में निषिद्ध है, निषिद्ध होने के कारण या कारणों सहित।

(ढ) स्थानांतरित किए जाने वाले सजीव संशोधित जीव के बारे में अन्य राज्यों के लिए निर्यातक द्वारा किसी भी अधिसूचना का उद्देश्य और परिणाम।

(ण) उपर्युक्त जानकारी के तथ्यात्मक रूप से सही होने की एक घोषणा।

अनुलग्नक II

भोजन या खाद्य के रूप में प्रत्यक्ष उपयोग, या अनुच्छेद 11 के तहत प्रसंस्करण के उद्देश्य से सजीव संशोधित जीवों के विषय में आवश्यक जानकारी

(क) घरेलू इस्तेमाल के एक निर्णय के लिए आवेदक का नाम और संपर्क विवरण।

(ख) नाम और निर्णय के लिए जिम्मेदार प्राधिकरण का संपर्क विवरण।

(ग) सजीव संशोधित जीव का नाम और पहचान।

(घ) जीन संशोधन, इस्तेमाल की गई तकनीक और परिणामस्वरूप होने वाली संजीव संशोधित जीव की विशेषताओं का विवरण।

(ङ) सजीव संशोधित जीव की कोई विशिष्ट पहचान।

(च) वर्गीकरण की स्थिति, सामान्य नाम, संग्रह या अधिग्रहण के स्थल (बिंदु), और जैव सुरक्षा से संबंधित प्राप्तकर्ता जीव या पैतृक जीवों की विशेषताएं।

(छ) मूल के केन्द्र और आनुवंशिक विविधता के केन्द्र, यदि ज्ञात हो और निवास स्थान का एक विवरण, जहां प्राप्तकर्ता जीव तथा/अथवा पैतृक जीव रह सकते हैं या वंश वृद्धि कर सकते हैं।

(ज) वर्गीकरण की स्थिति, सामान्य नाम, संग्रह या अधिग्रहण के स्थल (बिंदु), और जैव सुरक्षा से संबंधित प्राप्तकर्ता जीव या पैतृक जीवों की विशेषताएं।

(झ) सजीव संशोधित जीवों का स्वीकृत उपयोग।

(ञ) अनुलग्नक III के साथ संगत एक जोखिम आकलन रिपोर्ट।

(ट) जहां उपयुक्त हों, पैकेजिंग, लेबलिंग, दस्तावेजीकरण, निपटान और आकस्मिकता प्रक्रियाओं सहित सुरक्षित संभाल (हैंडलिंग), भंडारण, परिवहन और उपयोग के लिए प्रस्तावित तरीके।

अनुलग्नक III
जोखिम आकलन

उद्देश्य

1.इस समझौते के तहत, जोखिम आकलन का उद्देश्य, मानव स्वास्थ्य के जोखिम का ध्यान रखते हुए संभावित प्राप्तकर्ता पर्यावरण में जैव विविधता के संरक्षण और निरंतर उपयोग पर सजीव संशोधित जीवों के प्रतिकूल प्रभाव की क्षमता का पहचान और मूल्यांकन करना है।

जोखिम आकलन का प्रयोग

2.सजीव संशोधित जीवों के बारे में जानकारी युक्त निर्णय करने में सक्षम अधिकारियों द्वारा, अन्य बातों के साथ जोखिम आकलन का इस्तेमाल किया जाता है।

सामान्य सिद्धांत

3. जोखिम आकलन एक उपयुक्त वैज्ञानिक और पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए, और विशेषज्ञों की सलाह तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा विकसित प्रासंगिक दिशा निर्देशों की सहायता ली जा सकती है।

4.वैज्ञानिक ज्ञान या वैज्ञानिक आम सहमति के अभाव की, जोखिम के एक विशेष स्तर, जोखिम के अभाव, या एक स्वीकार्य जोखिम के संकेत के रूप में व्याख्या नहीं की जानी चाहिए।

5. सजीव संशोधित जीवों या उसके उत्पादों, सजीव संशोधित जीवों से उत्पन्न प्रसंस्कृत सामग्री, आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से प्राप्त पता लगाने योग्य नए संयोजन से युक्त अनुकृति बनाने योग्य आनुवंशिक सामग्री से जुड़े जोखिमों पर, संभावित प्राप्तकर्ता वातावरण में गैर-संशोधित प्राप्तकर्ताओं या पैतृक जीवों पर हो सकने वाले खतरों के संदर्भ में विचार किया जाना चाहिए।

6.मामले दर मामले के आधार पर जोखिम मूल्यांकन किया जाना चाहिए। संबंधित सजीव संशोधित जीव, इसके वांछित उपयोग और संभावित प्राप्तकर्ता वातावरण के आधार पर, अलग-अलग मामलों में आवश्यक जानकारी की प्रकृति और विवरण के स्तर में भिन्नता हो सकती है।

कार्यप्रणाली

7. जोखिम आकलन की प्रक्रिया एक ओर, विशिष्ट विषयों के बारे में अधिक जानकारी की जरूरत उत्पन्न कर सकती है, जिसके लिए पहचान और मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान पहचान और अनुरोध किया जा सकता है, जबकि दूसरी ओर कुछ मामलों में अन्य विषयों पर जानकारी प्रासंगिक नहीं हो सकती है।

8. अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जोखिम आकलन अपरिहार्य रूप से, निम्नलिखित कदमों को उपयुक्त मानता है:

(क) मानव स्वास्थ्य के लिए उत्पन्न हो सकने वाले जोखिम को ध्यान रखते हुए सजीव संशोधित जीव के साथ जुड़े किसी भी नए प्रकार की आनुवांशिक (जीनोटिपिक) और प्रारूपी विशेषताओं की एक पहचान जिनका संभावित प्राप्तकर्ता वातावरण में जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है;

(ख) सजीव संशोधित जीव के संभावित प्राप्तकर्ता पर्यावरण के समक्ष अनावरण के जोखिम के स्तर और प्रकार का ध्यान रखते हुए इन प्रतिकूल प्रभावों की संभावना का मूल्यांकन किया जा रहा है;

(ग) इन प्रतिकूल प्रभावों के परिणामों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए;

(घ) पहचान किए गए प्रतिकूल प्रभावों की संभावना और परिणामों के आकलन के आधार पर सजीव संशोधित जीवों से होने वाले कुल जोखिम का अनुमान किया जा रहा है;

(ङ) जहां आवश्यक हो, इन जोखिमों के प्रबंधन की रणनीतियों की पहचान के साथ, इन जोखिमों के स्वीकार्य या प्रबंधन योग्य होने या न होने की एक सिफारिश, और

(च) जहां जोखिम के स्तर के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है, वहां, चिंता के विशिष्ट मुद्दों पर आगे की जानकारी का अनुरोध करने या उचित जोखिम प्रबंधन रणनीति को लागू करने तथा/अथवा प्राप्तकर्ता वातावरण में सजीव संशोधित जीव की निगरानी के द्वारा इनका समाधान किया जा सकता है।

विचारणीय बिंदु

9. मामले के आधार पर, जोखिम मूल्यांकन में निम्न विषयों की विशेषताओं के बारे में प्रासंगिक तकनीकी और वैज्ञानिक विवरण लिया जाता है:

(क) प्राप्तकर्ता जीव या पैतृक जीव। वर्गीकरण की स्थिति के बारे में जानकारी, सामान्य नाम, मूल, मूल के केन्द्रों और आनुवंशिक विविधता के केन्द्रों, यदि ज्ञात हो, और निवास स्थान के एक विवरण जहां जीव रह सकते हैं या वंशवृद्धि कर सकते हैं, सहित प्राप्तकर्ता जीव या पैतृक जीवों की जैविक विशेषताएं;

(ख) दाता जीव या जीवों। दाता जीवों के वर्गीकरण की स्थिति और सामान्य नाम, स्रोत, और प्रासंगिक जैविक विशेषताएं;

(ग) सदिश (वेक्टर)। इसकी पहचान, यदि कोई हो, और उसके स्रोत या मूल, एवं इसके मेजबान रेंज सहित सदिश (वेक्टर) के लक्षण;

(घ) आवेषण या आवेषणों तथा/अथवा संशोधन की विशेषताएं। प्रविष्ट कराए गए न्यूक्लिक एसिड की आनुवंशिक विशेषताएं और इसके द्वारा निर्दिष्ट कार्य, तथा/अथवा किए गए संशोधन की विशेषताएं;

(ङ) सजीव संशोधित जीव। सजीव संशोधित जीव की पहचान और प्राप्तकर्ता जीव या पैतृक जीवों की जैविक विशेषताओं के बीच अंतर;

(च) सजीव संशोधित जीव की खोज और पहचान। पता लगाने और पहचान के प्रस्तावित तरीके और उनकी विशिष्टता, संवेदनशीलता एवं विश्वसनीयता;

(छ) वांछित उपयोग से संबंधित सूचना। प्राप्तकर्ता जीव या पैतृक जीवों की तुलना में नए या परिवर्तित उपयोग सहित सजीव संशोधित जीव के वांछित उपयोग से संबंधित सूचना, और

(ज) पर्यावरण प्राप्त करना। जैव विविधता और संभावित प्राप्तकर्ता वातावरण के उत्पत्ति केन्द्रों पर प्रासंगिक जानकारी सहित स्थान, भौगोलिक, जलवायु और पारिस्थितिकी विशेषताओं पर सूचना।

पुर्नचक्रित कागज पर मुद्रित आईसीएओ, कनाडा अक्टूबर 2000